न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2020-00063RAAJodhpur2020-30RTA225 Khetaram Vs Ghewarram etc

खेताराम पुत्र पदमाराम, जाति जाट, निवासी- ग्राम बुड़किया, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. घेवरराम पुत्र कालूराम
2. सुजाराम पुत्र नवलाराम
3. बाबुराम पुत्र नवलाराम
4. ओमाराम पुत्र नवलाराम
5. पपाराम पुत्र नवलाराम
   सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम बुड़किया, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 06 जनवरी 2020 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2019 खेताराम बनाम घेवरराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री कानाराम गोदाराम, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 06

शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 14 जनवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2019 खेताराम बनाम घेवरराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 06 जनवरी 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 27 फरवरी 2020 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 423/1 ग्राम बुड़किया तहसील भोपालगढ में आवागमन हेतु रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा नं. 423 एवं 423/3 में से सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार रास्ता चाहा तथा अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06 जनवरी 2020 के जरिये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पूर्व में मूल खसरा नं. 423 रकबा 26.09 बीघा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी में दर्ज था। बंटवाड़े के समय अपीलांट को उक्त खसरे का पीछे का भाग दिया गया तथा वक्त विभाजन अपीलांट के आवागमन हेतु रास्ता दिया गया, किंतु वर्तमान में रेस्पोडेंट्स द्वारा उक्त रास्ते का बंद कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त खसरान् के बीच में रास्ता मांगे जाने के आधार पर अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया, जबकि अपीलांट के आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06 जनवरी 2020 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार फरमाया जावे एवं वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 26 दिसंबर 2019 के अवलोकन मुताबिक अपीलांट का खातेदारी खेत खसरा नं. 423/1 वर्तमान में किसी भी गैर मुमकिन रास्ते से जुड़ा हुआ नहीं है। अपीलांट के आवागमन हेतु प्रथमदृष्टया मौका फर्द में दर्शित रास्ता मार्क बी से सी लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विकल्प साबित हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विकल्प पर गौर किये बिना अपीलांट का प्रार्थना पत्र विधि-विरुद्ध तरीके से खारिज किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश धारा 251-ए की मंशा के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2019 खेताराम बनाम घेवरराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 06 जनवरी 2020 को अपास्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों की उभय पक्ष की उपस्थिति में जांच कर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निकटतम एवं लघुतम रास्ते का आदेश पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर